उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2
संख्या : बी–2–2469/दस–2013–244/2013
लखनऊ : दिनाँक : 16 दिसम्बर, 2013

कार्यालय–ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013–2014 के लिये द्वितीय अनुपूरक अनुदान की मांगों से सम्बन्धित विधान मण्डल द्वारा पारित विनियोग विधेयक महामहिम श्री राज्यपाल की स्वीकृति के उपरान्त दिनाँक 12 दिसम्बर, 2013 को उत्तर प्रदेश विनियोग (2013–2014 का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–24 सन् 2013) के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है ।

2– अतः वित्तीय वर्ष 2013–2014 के बजट प्रावधानों के सापेक्ष स्वीकृतियाँ जारी करने विषयक कार्यालय–ज्ञाप संख्या–बी–1–640/दस–2013–231/2013 दिनाँक 28 मार्च, 2013 के क्रम में प्रशासकीय विभागों से अनुरोध है कि वे अनुपूरक माँग में सम्मिलित प्रस्तावों की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने के संबंध में निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें –

(i) गृह विभाग (पुलिस) की अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत द्वितीय अनुपूरक अनुदान के माध्यम से उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम रूपये 90.00 करोड़ की प्रतिपूर्ति करायी गई है, अतः इस धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी न की जाये । गृह विभाग (पुलिस) द्वारा इस धनराशि का महालेखाकार (लेखा एवं हक0) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के लेखों में पुस्तांकन, वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–12 के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

(ii) वित्तीय स्वीकृतियाँ, वर्ष 2013–2014 की शेष अवधि में व्यय / वास्तविक उपयोग हेतु आवश्यक धनराशि की सीमा तक ही जारी की जायें तथा वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष धनराशियों को पी.एल.ए. / डिपाज़िट खातों में जमा न किया जाये । विशेष परिस्थिति में वित्त विभाग की सहमति एवं माननीय मुख्य मंत्री जी के अनुमोदन से स्वीकृत धनराशि को कार्यदायी संस्था के डिपाजिट खाते में जमा किया जा सकेगा ।

(iii) द्वितीय अनुपूरक बजट में प्रावधानित केन्द्र पोषित योजनाओं {केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र पुरोनिधानित (CP / CSS) एवं अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ACA) के रूप में} की वित्तीय स्वीकृतियाँ वित्त विभाग की सहमति से जारी की जायें ।

3– वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित अन्य दिशा–निर्देशों के सम्बन्ध में उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनाँक 28 मार्च, 2013 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

(आनन्द मिश्र)
प्रमुख सचिव ।

शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव ।

संख्या : बी–2–2469(1)/दस–2013–244/2013, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2 प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
4 प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
5 समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
6 निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन, लखनऊ ।
7 निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8 समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
9 समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
10 वित्त विभाग के समस्त व्यय–नियंत्रण अनुभाग तथा उनसे सम्बद्ध अधिकारी ।
11 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
12 गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(लहरी यादव)
वित्तीय सलाहकार (बजट)
एवं विशेष सचिव ।